# छत्तीसगढ़ विधान सभा

क्रमांक – **63**

## पत्रक भाग–दो

## गुरूवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2026 (कार्तिक 21, 1948)

## छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधान सभा का ग्यारहवां सत्र (दिसम्बर, 2026)

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधान सभा का ग्यारहवें सत्र **सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2026** को प्रारंभ होगा।

### ग्यारहवें सत्र में कार्य निष्पादन के लिये दिनों का नियतन

1. इस सत्र हेतु की गई व्यवस्था अनुसार, कार्य निष्पादन के लिये विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर निम्नलिखित दिनांकों के लिये नियत की गई हैं :–

**दिसम्बर – 14, 15, 16 एवं 17.**

2. बैठकों की अस्थायी **दिनदर्शिका** माननीय सदस्यों को पृथक से भेजी जा रही है।

### विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश न दें, बैठकों के दिनों में, विधान सभा की बैठकें, पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक और अपराह्न 3:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक होंगी।

### अशासकीय कार्य

सत्र में गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के लिये विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के अनुसार **गुरूवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2026** की बैठक के अंतिम ढाई घंटे निर्धारित किये गये हैं. अशासकीय विधेयकों की सूचना इस सचिवालय में नियम 60 के उप नियम (3) के अंतर्गत प्राप्त की जा सकेगी एवं अशासकीय संकल्पों की सूचना इस सचिवालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **दिनांक 17 दिसम्बर,2026 के लिये 02 दिसम्बर, 2026 है।**

### सत्र प्रारंभ होने के पूर्व दी जाने वाली सूचनाएं

सत्र प्रारंभ होने के पूर्व माननीय सदस्यों द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित सूचनाएं **मंगलवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2026** से कार्यालयीन दिवसों में **पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक** विधान सभा सचिवालय में प्राप्त की जावेंगी तथा उन पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार किया जायेगा :–

(1) स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.
(2) ध्यान आकर्षण की सूचनाएं.
(3) नियम 267–क के अधीन सूचनाएं.

उक्त दिनांक से पूर्व प्राप्त होने वाली उपर्युक्त सूचनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

### स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण तथा नियम 267–क के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं

कार्य की सुविधा की दृष्टि से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं, ध्यान आकर्षण की सूचनाएं तथा नियम 267–क के अधीन सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :–

(क) स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण तथा नियम 267–क के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं **श्री आशीष शुक्ला, उप सचिव (कक्ष क्रमांक ए–106)** प्राप्त करेंगे, उनके अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं होने की दशा में ये सूचनाएं **श्री दिनेश शर्मा, सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा** प्राप्त करेंगे।

(ख) उपर्युक्त सूचनाएं बैठक वाले दिन **प्रातः 8:00 बजे** से प्राप्त की जायेंगी. स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्रातः 9:00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने की दशा में अगले दिन के लिये मानी जायेंगी. **ध्यान आकर्षण सूचनाएं प्रातः 9:30 बजे के बाद** प्राप्त होने की दशा में अगले दिन के लिये मानी जायेंगी. जिन दिनों बैठकें नहीं होंगी और सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा उन दिनों में ये सूचनाएं पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी. संबंधित अधिकारी उपरोक्त सूचनाएं प्राप्त होते ही सर्वप्रथम प्राप्ति का दिनांक तथा समय, सूचना देने वाले सदस्य के सामने अंकित करेंगे. शासकीय अवकाश के दिनों में किसी कारणवश सचिवालय खोले जाने पर उस दिन सचिवालय में सूचनाएं प्राप्त नहीं की जायेंगी।

(ग) नियम 267–क के अंतर्गत विषय उठाने की प्रक्रिया :–

(1) नियम 267–क के अंतर्गत विषय उठाने की सूचनाएं भेजते समय उस वक्तव्य का पूरा पाठ अवश्य भेजा जावे जो कि अनुमति प्राप्त होने पर सदन में पढ़ा जायेगा।

(2) वक्तव्य सर्वथा संक्षिप्त और विषय से ही संबंधित होना चाहिए।

(3) सूचनाएं देने के लिये प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(4) सप्ताह में सभा की अंतिम होने वाली बैठक के दिन प्रातः 10:00 बजे तक प्राप्त सूचनाओं में से अध्यक्ष महोदय की सम्मति प्राप्त सूचनाओं के अतिरिक्त शेष सूचनाएं व्यपगत मानी जायेंगी, जिसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

## माननीय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

1. सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालन हेतु माननीय सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 एवं 251 की ओर दिलाते हुए अनुरोध है कि कृपया नियमों का पालन करें।

2. सामान्यतः अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति का उल्लेख आसंदी द्वारा किये जाने की परम्परा है और तदुपरांत सदन द्वारा उनका अभिनन्दन किया जाता है।

सभी **माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति का उल्लेख उनके द्वारा न किया जाए।**

## प्रश्नकाल का दूरदर्शन से प्रसारण

प्रश्नकाल की कार्यवाही का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाता है। तद्नुसार सदस्यों से अनुरोध है कि सभा में उच्च संसदीय मापदण्डों के अनुरूप व्यवस्था बनाये रखें।

## सूचनाओं के पहले से प्रकाशन पर प्रतिबंध

विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन दी जाने वाली सूचना के प्रकाशन को नियम 236 निम्नानुसार प्रतिबंधित करता है :–

**"236–क. किसी सूचना का प्रकाशन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित नहीं कर दी गई हो;**

**परन्तु किसी प्रश्न की सूचना का उस दिन तक कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा जिस दिन कि उस प्रश्न का सभा में उत्तर दिया जाए।"**

तद्नुसार सदस्यों से अनुरोध है कि माननीय अध्यक्ष के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत सूचनाओं का प्रचार/प्रसार नहीं करे।

## माननीय सदस्यों के लिये उपस्थिति पुस्तक

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम के अंतर्गत देय दैनिक भत्ता उनके उपस्थिति पुस्तक में हस्ताक्षर पर निर्भर करता है। अतः माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वे सदन में उपस्थित होने वाले दिन **सूचना कार्यालय में रखी हुई उपस्थिति पुस्तक में अपने हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करें**।

## माननीय सदस्यों के लिये साहित्य

सत्रकाल में माननीय सदस्यों के उपयोग के लिये साहित्य, सूचना कार्यालय में खानेदार आलमारी में रखकर वितरित किया जाता है. प्रत्येक माननीय सदस्य अपने नाम वाले खाने से ही अपना साहित्य निकालने का कष्ट करें।

## विधान सभा की वेब साईट

छत्तीसगढ़ विधान सभा से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने के लिये माननीय सदस्यगण विधान सभा की वेब साईट www.cgvidhansabha.gov.in का उपयोग कर सकते हैं. सत्र संबंधी समस्त जानकारियों के साथ–साथ सभा की दैनिक कार्यवाही यथासमय वेब साईट पर अपलोड की जाती हैं. माननीय सदस्य जानकारियों हेतु छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेब साईट का अवलोकन कर सकते हैं।

## वेब पोर्टल (Web Portal)

विधान सभा को **"लेस पेपर"** किये जाने की योजना के अंतर्गत विधान सभा का एक वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसे विधान सभा की वेब साईट में **"ई–विधान"** के नाम से अंकित किया गया है. (Web Portal) में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण, बजट, अनुपूरक अनुमान, अनुदान मांग, प्रशासकीय प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन अपलोड किये गये हैं।

## सदन की कार्यवाही के अनुवाद की व्यवस्था

सभा की कार्यवाही में माननीय सदस्यों को सदन में हिन्दी के साथ–साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में भी अपनी बात रखने की सुविधा प्रदान की गई है. माननीय सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को चेनल–एक पर तथा अनुवादित भाषा में सुनने की व्यवस्था चेनल–दो तथा पांच पर उपलब्ध है।

## सूचनाएं दिये जाने की रीति

(क) माननीय सदस्यों द्वारा समस्त सूचनाएं छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 236 के अनुसार प्रत्येक सूचना **सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा** को संबोधित करके लिखित रूप से विधान सभा सचिवालय में राजपत्रित अवकाश को छोड़कर कार्यालय में दी जानी चाहिए।

(ख) नियमों के अनुसार दी जानी वाली प्रत्येक सूचना लिखित रूप से कार्यालय में अथवा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को दी जाना चाहिए. उस पर सूचना देने वाले माननीय सदस्य के स्याही के हस्ताक्षर, आसन क्रमांक और सुवाच्य रूप में नाम लिखना चाहिए. राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष दिन इन्हें लेने का **समय 11:00 बजे दिन से 4:00 बजे दिन के बीच नियत किया गया है**।

(ग) प्रत्येक सूचना अथवा पत्र में माननीय सदस्यों को एक विषय का उल्लेख करना चाहिये, माननीय सदस्यों द्वारा दी जाने वाली कुछ सूचनाओं की अपेक्षित अवधि निम्नानुसार है :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एक) | प्रश्न | – | पूरे 21 दिन पूर्व (नियम 29) |
| (दो) | विधेयक में संशोधन | – | एक दिन पूर्व (नियम 78) |
| (तीन) | संकल्पों में संशोधन | – | तीन दिन पूर्व (नियम 123) |
| (चार) | अन्य सूचनाएं | – | संबंधित नियमों के अधीन निर्धारित अवधि अनुसार। |

## ऑनलाईन प्रश्न की सूचना से संबंधित

(क) माननीय सदस्य, ऑनलाईन प्रश्नों की सूचनाएं छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के वेब एप्लीकेशन पर MLALogin पेज पर दिये गये दिशानिर्देशों के अंतर्गत URL: www.vidhansabha.cg.nic.in/ MLALogin.aspx के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ख) माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की ऑनलाईन सूचनाएं, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय में उनके द्वारा दिये गये घोषणा–पत्र में दर्शित अधिकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. के माध्यम से लॉगिन करते हुए प्रस्तुत की जा सकेंगी। ऑनलाईन प्रस्तुत ऐसी ''ई–प्रश्न की सूचनाएं'' संबंधित माननीय सदस्य द्वारा ही प्रस्तुत की गई मानी जाएंगी।

## सदन की कार्यवाही से संबंधित पत्र

सभा की दैनिक कार्यवाही से संबंधित पत्रों की प्रतियां माननीय सदस्यों को उनके निवास स्थानों पर भी भेजी जाती है. उन पत्रों को संभाल कर रखने, उन्हें यथासमय उपयोगार्थ साथ लाने की अपेक्षा की जाती है।

## माननीय सदस्यों द्वारा सभा में दिये गये भाषण की पुष्टि

माननीय सदस्यों द्वारा सभा में दिये गये उनके भाषण की एक प्रति उनकी पुष्टि के लिये सूचना कार्यालय में स्थित खानेदार अलमारी के माध्यम से वितरित की जाएगी. माननीय सदस्यों को भाषण केवल पुष्टि के लिये एवं इस प्रयोजन के लिये भेजे जाते हैं कि यदि उनमें कोई अशुद्धि हो या व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार दें. माननीय सदस्यों को व्याकरण की दृष्टि से की गई शुद्धि या कहीं–कहीं कोई शब्द ठीक करने या कहीं–कहीं किसी खण्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने की अनुमति है. लेकिन किसी ऐसी सारगत शुद्धि की अनुमति नहीं है. जिससे माननीय सदस्य ने सभा में जो कुछ कहा है, उसमें इतना फेरबदल हो जाए कि उसका सारतत्व ही परिवर्तित हो जाए. माननीय सदस्यों से यह भी अपेक्षा है कि भाषण में सुधार कर तीन दिवस के अंदर विधान सभा सचिवालय को वापस कर दें।

## विभाजन घंटियां

पीठासीन अधिकारी द्वारा मत विभाजन का निर्देश दिये जाने पर सभा कक्षों (लॉबियों) को खाली कराया जाता है तथा मत विभाजन की घंटियां बजाई जाती है. ये घंटियां बजाई जाने पर सभा कक्षों (लॉबियों), सूचना कार्यालय, समिति कक्षों, स्वल्पाहार गृहों तथा मंत्रियों इत्यादि के कक्षों तक सुनाई पड़ती है. जब ये घंटियां लगातार बजती हैं तो वह इस बात का द्योतक है कि विधान सभा में मत विभाजन होने वाला है, ये घंटियां दो मिनट तक बजती हैं, जब ये घंटियां बजना बंद हो जाती हैं तब तत्काल आंतरिक सभा कक्ष (लॉबी) के सभी दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं, ताकि मत विभाजन होने तक सभा में इन दरवाजों से न कोई भीतर आ सके और न ही कोई उनसे बाहर जा सके. सभा कक्ष (लॉबी) खाली हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी दूसरी बार प्रश्न प्रस्तुत करते हैं और घोषणा करते हैं कि उनकी राय में **''हां''** अथवा **''ना''** पक्ष का बहुमत है. यदि पीठासीन अधिकारी की उस राय पर किसी माननीय सदस्य के द्वारा पुनः मत विभाजन की मांग की जाती है तो निर्णय मत विभाजन द्वारा किया जाता है. पीठासीन अधिकारी निर्देश देते हैं कि विभाजित हो जाइए और मत देने के इच्छुक सदस्यगणों से आसंदी के दाईं ओर अथवा बाईं ओर वाले दरवाजे से अपने सभा कक्ष (लॉबी) में जाने का अनुरोध करते हैं. **''हां''** तथा **''ना''** वाले सभा कक्ष (लॉबी) आसंदी के क्रमशः दाहिने व बाईं ओर है. माननीय सदस्य वहां रखे मतपत्रों पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और फिर सभा वेश्म में लौट आयेंगे।

## सभा वेश्म में मोबाइल दूरभाष के उपयोग पर प्रतिबंध

विधान सभा की कार्यवाही के दौरान सभा वेश्म (सदन) में मोबाइल दूरभाष का उपयोग करने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है. अतः माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा वेश्म (सदन) में अपने साथ मोबाइल दूरभाष लेकर न आयें. माननीय सदस्य अपना मोबाइल दूरभाष सूचना कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

## विधान सभा भवन में सुरक्षा व्यवस्था

विधान सभा एवं उनकी समितियों के सुचारू रूप में कार्य संचालन हेतु विधान सभा में सुरक्षा की व्यवस्था रहती है तथा बाहरी व्यक्तियों को विधान सभा में प्रवेश देने हेतु प्रवेश–पत्र जारी किये जाते है. माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा है कि अपने साथ दर्शकों को विधान सभा परिसर, दीर्घाओं व विभिन्न कक्षों में बिना प्रवेश–पत्र के प्रवेश देने हेतु सुरक्षा कर्मियों को बाध्य न करें. इससे सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होता है. सत्रकाल में अपने साथ आने वाले दर्शकों को प्रवेश–पत्र बनवाकर ही उन्हें विधान सभा परिसर, कक्षों एवं भवन में प्रवेश दिलाएं।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.